



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, शुक्रवार, 20 मई, 2016 ई0

वैशाख 30, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण विभाग

संख्या 664/III(1)/16-13 (सा0)/2006

देहरादून, 20 मई, 2016

अधिसूचना

विविध

सा0प0नि0-06

‘राज्यपाल, भारत का संविधान’ के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में अमीन सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

### उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अमीन सेवा नियमावली, 2016

#### भाग 1 - सामान्य

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (लोक निर्माण विभाग) अमीन सेवा नियमावली, 2016 है।<br>(2) यह तत्काल प्रभावी होगी। |
| सेवा की प्राप्ति          | 2. उत्तराखण्ड (लोक निर्माण विभाग) अमीन सेवा एक अधीनस्थ राज्य सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद सम्मिलित है।                       |

## परिभाषायें

3. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:-  
 (क) "नियुक्त प्राधिकारी" से मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग अभिप्रेत है।  
 (ख) "भारत का नागरिक" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत का संविधान के भाग-11 के अधीन भारत का नागरिक है या भारत का नागरिक समझा जाय।  
 (ग) "आयोग" से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभिप्रेत है।  
 (घ) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है।  
 (ङ) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है।  
 (च) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है।  
 (छ) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने से पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।  
 (ज) "सेवा" से उत्तराखण्ड (लोक निर्माण विभाग) अमीन सेवा अभिप्रेत है।  
 (झ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यकलाप अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो।  
 (ञ) "भर्ती का वर्ष" से किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

## भाग 2-संवर्ग

## सेवा का संवर्ग

4. सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की  
 (1) संख्या उतनी होगी जो समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।  
 (2) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपनियम (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाय, जो परिशिष्ट-1 में दी गयी हैं। परन्तु उपबन्ध यह है कि-  
 (एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार न होगा।  
 (दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी अथवा अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं, जैसा वह उचित समझे।

## भाग 3-भर्ती

## भर्ती का स्रोत

5. सेवा में भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:-  
 अमीन (1) 80 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा।  
 (2) 20 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वर्क एजेण्ट, मेट, बेलदार चौकीदार, नीलमुद्रक एवं अनुसेवकों में से जिन्होंने विभाग से अनुज्ञा प्राप्त करने के उपरान्त नियम 8 में विहित अर्हतायें अर्जित की हो, भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 05 वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा"

## आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त, सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

**भाग 4-अर्हतायें**

**राष्ट्रीयता**

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-  
 (क) भारत का नागरिक हो, या  
 (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, होना चाहिए, या  
 (ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो, परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) से सम्बन्धित वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो,  
 परन्तु यह और कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिये भी पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

**टिप्पणी:-**

ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में न पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और देने से इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

**शैक्षिक अर्हतायें**

8. (एक) सेवा में भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश अथवा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।  
 (दो) किसी शासकीय प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त अथवा शासन द्वारा संचालित क्षमता उन्नयन (skill development/ upgradation) कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वे/अमीन सम्बन्धी कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त अथवा आई0टी0आई0 से सर्वेयर/मानचित्रकार ट्रेड में प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

**अधिमानी अर्हतायें**

9. अन्य बातों के समान होने पर, सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने:-  
 (एक) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा की हो,  
 (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। उसे अन्य बातें समान होते हुये भी अधिमान दिया जायेगा।  
 (तीन) स्नातक/स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की हो।  
 (क) अनिवार्य अर्हता- लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होगा।

- आयु** 10. सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञापित की जाय, 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष के 01 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं, तो उस वर्ष की 01 जुलाई को 18 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए।
- परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ायी जायेगी, जैसा की विहित किया जाय।
- चरित्र** 11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सर्वथा उपयुक्त हो नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में स्वयं समाधान करेगा।
- टिप्पणी :-** संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से समबद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।
- वैवाहिक प्रास्थिति** 12. पुरुष, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हों, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति की पात्र नहीं होगी।
- परन्तु यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।
- शारीरिक स्वस्थता** 13. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में सीधी भर्ती के किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने से बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 3 के अध्याय 3 में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- भाग 5-भर्ती की प्रक्रिया**
- रिक्तियों की अवधारणा** 14. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा में प्रवेश के लिए विहित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15. (1) सीधी भर्ती करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम ऐसे दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा।
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित रीति से, सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र उपनियम (1) में प्रकाशित प्रारूप पर आमंत्रित करेगा और रिक्तियां अधिसूचित करेगा—
- (एक) ऐसे दो दैनिक समाचार पत्र में, जिसका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके,
- (दो) कार्यालय के सूचना पट पर सूचना चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके, और
- (तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।
- (3) उपनियम (2) के अधीन रिक्तियां अधिसूचित करते समय आवेदन पत्र का प्रारूप पुनः प्रकाशित नहीं किया जायेगा।
- (4) (क) चयन के लिए 100 अंकों की एक लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, छटनीशुदा कर्मचारियों के लिए प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 05 अंक व अधिकतम 15 अंक का अधिमान दिया जायेगा। प्रवीणता सूची लिखित के प्राप्तांकों व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर तैयार की जायेगी।
- (ख) वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा सामान्य हिन्दी का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक व प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।
- (ग) लिखित परीक्षा के प्रश्न— बुकलेट परीक्षा के पश्चात्, अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
- (घ) लिखित परीक्षा की उत्तर सीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
- (ङ) लिखित परीक्षा के पश्चात् लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer Sheet) को उत्तराखण्ड की वेबसाईट [www.ua.nic.in](http://www.ua.nic.in) पर या दैनिक समाचार पत्र में, जिसका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित की जायेगी।
- (5) लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों और अन्य मूल्यांकनों, जिसमें छटनीशुदा कर्मचारियों हेतु अधिमान अंकों से जैसा प्रकट हो, सम्मिलित होंगे, प्रवीणता सूची (अन्तिम चयन सूची) तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थियों ने बराबर-बराबर अंक प्राप्त किये हो तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या, से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) होगी।
- (6) जब चयन प्रक्रिया पूरी हो जाय और चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित कर दी जाय तो चयनित अभ्यर्थी द्वारा चयन परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों का कुल योग, व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जायेगा तथा उत्तराखण्ड की वेबसाईट पर जनपद के जिला कार्यालय व सम्बन्धित कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
- (7) सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक (लिखित परीक्षा, छटनीशुदा कर्मचारियों के अंकों को तथा यथा स्थिति अधिमानी अर्हता में प्राप्त अंकों को वर्गीकृत करते हुए) अधिकतम अंक के साथ अवरोही क्रम में उत्तराखण्ड की अधिकारिक वेबसाईट [www.ua.nic.in](http://www.ua.nic.in) पर प्रदर्शित किये जायेंगे।

## चयन समिति का गठन

16. अमीन के पदों पर सीधी भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी - मुख्य अभियन्ता।

अध्यक्ष

(दो) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई एक अधिकारी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक ऐसे अधिकारी का नाम निर्दिष्ट किया जायेगा, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का ना हो-

सदस्य

(तीन) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अन्य पिछड़े वर्ग का न हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग का एक अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक ऐसे अधिकारी का नाम निर्दिष्ट किया जायेगा, जो अन्य पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो - सदस्य

## टिप्पणी :-

यदि विभाग या संगठन में ऐसे उपर्युक्त अधिकारी न हो तो ऐसा अधिकारी, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर, मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। यदि उपर्युक्त अधिकारियों के उपलब्ध न होने के कारण नियुक्ति प्राधिकारी ऐसा करने में असफल रहें तो ऐसा अधिकारी प्रमुख अभियन्ता द्वारा निर्दिष्ट किया जायेगा-

सदस्य

## पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

17. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे-

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी

अध्यक्ष

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक राजपत्रित अधिकारी (श्रेणी प्रथम) जो उस पद का पर्यवेक्षीय हैसियत रखते हो, जिसके लिए चयन किया जाय

सदस्य

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग का एक अधिकारी

सदस्य

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 2003 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाय चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के नामों पर विचार करेगी।

(4) चयन समिति, चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम, में जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जाती है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

- संयुक्त चयन सूची 18. यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय, तो नियुक्ति प्राधिकारी एक संयुक्त चयन सूची तैयार करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से ऐसी रीति से लेकर रखे जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

#### भाग-6 नियुक्ति परीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

##### नियुक्ति

19. (1) उपनियम (2) के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम, यथास्थिति नियम 15, 17 व 18 के अधीन तैयार की गई सूचियों में हो।  
(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों के द्वारा की जानी हो तो नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों श्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 18 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।  
(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्तियों के एक से अधिक आदेश जारी किये जाय तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, उच्च ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा, जैसे यथास्थिति, चयन में अवधारित की जाय या जैसे कि उस संवर्ग में हो, जिसमें उन्हें पदोन्नति किया जाय।  
(4) यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों के द्वारा की जाय तो नियम 18 के निदृष्ट चक्रानुक्रम के अनुसार रखे जायेंगे।

##### परीवीक्षा

20. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षा पर रखा जायेगा।  
(2) नियुक्त प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परीवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढ़ायी जाय, परन्तु अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परीवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।  
(3) यदि परीवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परीवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्त प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परीवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा हो, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।  
(4) ऐसा परीवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या उसकी सेवायें समाप्त की जाय, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।  
(5) नियुक्ति प्राधिकारी, संवर्ग में सम्मिलित किसी पद या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थापन या अस्थाई रूप में की गई निरन्तर सेवा को परीवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

##### स्थायीकरण

21. सीधी भर्ती के (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परीवीक्षाधीन व्यक्ति को परीवीक्षा अवधि या बढ़ाये गये परीवीक्षा अवधि के अन्त में उसको नियुक्ति में स्थाई कर दिया जायेगा, यदि -

- (क) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया जाय,  
 (ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय और  
 (ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थाई किये जाने के लिए अन्यथा उपर्युक्त हो  
 (घ) अमीन का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक कर लिया गया हो।

ज्येष्ठता

22. सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

#### भाग - 7 वेतन इत्यादि

वेतनमान

23. सेवा में पदों पर नियुक्ति व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय। (परिशिष्ट-1)

परिवीक्षा अवधि में वेतन

24. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थाई सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी, जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थाई भी कर दिया गया हो,

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी, जब तब नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा,

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तब नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

#### भाग 8 - अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

25. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रमाण उसे नियुक्ति के लिए अर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

26. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में  
शिथिलता

27. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति

28. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हों।

परिशिष्ट-1

| क्र०सं० | पदनाम | वेतनमान                      | पदों की संख्या |        | कुल पद |
|---------|-------|------------------------------|----------------|--------|--------|
| 1.      | अमीन  | 5200-20200<br>ग्रेडवेतन-2000 | अस्थायी        | स्थायी | 145    |
|         |       |                              | —              | 145    |        |

आज्ञा से,  
डी० एस०/गवर्नाल,  
सचिव।

13/3/23

1/105636/2023

1031

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1

संख्या: 05636/III(1)/2023-13778/MIS/2/2022

देहरादून: दिनांक 13 फरवरी 2023

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत प्रख्यापित "लोक निर्माण विभाग अमीन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- प्रमुख सचिव/सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 4- सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
- 6- स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड।
- 8- आयुक्त गढ़वाल/कुमाँऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
- 9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 10- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 11- समस्त मुख्य अभियन्ता, स्तर-1/2, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड।
- 12- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूडकी, हरिद्वार को नियमावली की हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रति को इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया नियमावली को असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-क में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां लोक निर्माण अनुभाग-01, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 13- विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

Signed by Ramesh Kumar  
Sudhanshu  
Date: 11-03-2023 12:06:56

(रमेश कुमार सुधांशु)  
प्रमुख सचिव

CC (071)

13/3/23

(अशोक कुमार)

मुख्य अभियन्ता (अधिनियम)

14/3/23

215

14-3-23

उत्तराखण्ड शासन  
लोक निर्माण अनुभाग-1  
संख्या: 65635/III(1)/2023-13778/MIS/2/2022  
देहरादून: दिनांक 13 मार्च, 2023

अधिसूचना  
प्रकीर्ण

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके "उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अमीन सेवा नियमावली, 2016" में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात:-

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अमीन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022

संक्षिप्त नाम  
और प्रारम्भ

- 1- (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अमीन सेवा (संशोधन) नियमावली 2022 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 6 का  
संशोधन

- 2- उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अमीन सेवा नियमावली, 2016 (जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

**स्तम्भ-1**

(विद्यमान नियम)

**आरक्षण: 6.** उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त, सरकार के आदेशों के अनुसार दिया जायेगा।

**स्तम्भ-2**

(एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)

**आरक्षण 6.** उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार दिया जायेगा।

नियम-8 का  
संशोधन

- 3- मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

**स्तम्भ-1**

(विद्यमान नियम)

**शैक्षिक अर्हताये: 8.** (एक) सेवा में भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(दो) किसी शासकीय प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त अथवा शासन द्वारा संचालित क्षमता उन्नयन (Skill Development/ Upgradation) कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वे/अमीन

**स्तम्भ-2**

(एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)

**शैक्षिक अर्हतायें: 8.** (एक) सेवा में भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) से सर्वेक्षण/मानचित्रकार (सिविल) ट्रेड में दो वर्षीय उत्तीर्ण प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए।

सम्बन्धी कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त  
अथवा आई0टी0आई0 से सर्वेयर/  
मानचित्रकार ट्रेड में प्रमाण पत्र प्राप्त  
किया हो।

नियम-9 का  
संशोधन

4- मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-9 के  
स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1  
(विद्यमान नियम)

स्तम्भ-2  
(एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)

**अधिमानी अर्हताये: 9.** अन्य  
बातों के समान होने पर, सीधी  
भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी  
को अधिमान दिया जायेगा  
जिसने:-

(एक) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम  
दो वर्ष की सेवा की हो,

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी"  
अथवा "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त  
किया हो। उसे अन्य बातें समान  
होते हुये भी अधिमान दिया  
जायेगा।

(तीन) स्नातक/स्नातकोत्तर की  
डिग्री प्राप्त की हो।

(क) अनिवार्य अर्हता- लोक सेवा  
आयोग की परिधि के अन्तर्गत  
तथा लोक सेवा आयोग की  
परिधि के बाहर समूह 'ग' के  
सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु  
वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका  
नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित  
किसी सेवायोजन कार्यालय में  
पंजीकृत होगा।

**अधिमानी अर्हताये: 9.**

(1) अन्य बातों के समान होने पर, सीधी भर्ती के मामले में  
ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने:-

(एक) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा की हो,

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त  
किया हो। उसे अन्य बातें समान होते हुये भी अधिमान दिया  
जायेगा।

(तीन) स्नातक/स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की हो।

अनिवार्य/वांछनीय अर्हता

(2) अनिवार्य/वांछनीय अर्हता, "उत्तराखण्ड लोक सेवा  
आयोग की परिधि के अन्तर्गत अनिवार्य वांछित अर्हता तथा  
लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की  
भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010"  
(समय-समय पर यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार  
होगी।

नियम-13 का  
संशोधन

5- मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-13 के  
स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1  
(विद्यमान नियम)

स्तम्भ-2  
(एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)

**शारीरिक स्वस्थता: 13.** किसी भी  
ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में सीधी  
भर्ती के किसी पद पर तब तक  
नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब  
तक कि मानसिक और शारीरिक  
दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न  
हो और वह किसी ऐसे शारीरिक  
दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे  
अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक  
पालन करने से बाधा पड़ने की  
सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को

**शारीरिक स्वस्थता: 13.** किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में  
सीधी भर्ती के किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा,  
यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और  
किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे  
अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की  
सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम  
रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व, उससे वित्तीय हस्त  
पुस्तिका खण्ड-II, भाग III के अध्याय-III में समाविष्ट मूल  
नियम-10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता  
प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग-3 के अध्याय 3 में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

परन्तु, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम सं0-49, वर्ष 2016, भारत सरकार) की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगजनों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा।

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

नियम-14 का संशोधन

6- मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-14 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1  
(विद्यमान नियम)

स्तम्भ-2  
(एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)

रिक्तियों की अवधारणा: 14. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा में प्रवेश के लिए विहित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा।

रिक्तियों की अवधारणा: 14. नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

नियम-15 का संशोधन

7- मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-15 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1  
(विद्यमान नियम)

स्तम्भ-2  
(एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)

सीधी भर्ती की प्रक्रिया: 15. (1) सीधी भर्ती करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम ऐसे दो दैनिक समाचार पत्रों, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा।  
(2) नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित रीति से, सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र उपनियम (1) में प्रकाशित प्रारूप पर आमंत्रित करेगा और रिक्तियां अधिसूचित करेगा-

(एक) ऐसे दो दैनिक समाचार पत्र में, जिसका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन

सीधी भर्ती की प्रक्रिया: 15. सीधी भर्ती उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2008 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जायेगी।

जारी करके,

(दो) कार्यालय के सूचना पट पर सूचना चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके, और

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।

(3) उपनियम (2) के अधीन रिक्तियां अधिसूचित करते समय आवेदन पत्र का प्रारूप पुनः प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

(4)(क) चयन के लिए 100 अंकों की एक लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, छटनीशुदा कर्मचारियों के लिए प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 05 अंक व अधिकतम 15 अंक का अधिमान दिया जायेगा। प्रवीणता सूची लिखित के प्राप्तांकों व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ख) वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा सामान्य हिन्दी का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक व प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(ग) लिखित परीक्षा के प्रश्न- बुकलेट परीक्षा के पश्चात, अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(घ) लिखित परीक्षा की उत्तर सीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(ड) लिखित परीक्षा के पश्चात लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer Sheet) को उत्तराखण्ड की वेबसाईट [www.ua.nic.in](http://www.ua.nic.in) पर या दैनिक समाचार पत्र में, जिसका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित की जायेगी।

(5) लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों और अन्य मूल्यांकनों, जिसमें छटनीशुदा कर्मचारियों हेतु अधिमान अंकों से जैसा प्रकट हो, सम्मिलित होंगे, प्रवीणता सूची (अन्तिम चयन सूची) तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थियों ने बराबर-बराबर अंक प्राप्त किये हो तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या, से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) होगी।

(6) जब चयन प्रक्रिया पूरी हो जाय और

I/105635/2023

चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित कर दी जाय तो चयनित अभ्यर्थी द्वारा चयन परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों का कुल योग, व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जायेगा तथा उत्तराखण्ड की वेबसाईट पर जनपद के जिला कार्यालय व सम्बन्धित कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(7) सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक (लिखित परीक्षा, छटनीशुदा कर्मचारियों के अंकों को तथा यथा स्थिति अधिमानी अर्हता में प्राप्त अंकों को वर्गीकृत करते हुए) अधिकतम अंक के साथ अवरोही क्रम में उत्तराखण्ड की आधिकारिक वेबसाईट [www.ua.nic.in](http://www.ua.nic.in) पर प्रदर्शित किये जायेंगे।

नियम-16 का लोप

8- मूल नियमावली में विद्यमान नियम-16 का लोप कर दिया जायेगा।

परिशिष्ट-1 का संशोधन

9- मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान परिशिष्ट-1 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया परिशिष्ट-1 रख दिया जायेगा अर्थात:-

स्तम्भ-1  
(विद्यमान नियम)  
परिशिष्ट-1

स्तम्भ-2  
(एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)  
परिशिष्ट-1

| क्र० सं० | पदनाम | वेतनमान                       | पदों की संख्या |        | कुल पद |
|----------|-------|-------------------------------|----------------|--------|--------|
|          |       |                               | अस्थायी        | स्थायी |        |
| 1.       | अमीन  | 5200-20200<br>ग्रेड वेतन 2000 | -              | 145    | 145    |

| क्र० सं० | पदनाम | वेतनमान                           | पदों की संख्या |        | कुल पद |
|----------|-------|-----------------------------------|----------------|--------|--------|
|          |       |                                   | अस्थायी        | स्थायी |        |
| 1.       | अमीन  | 25500-81100<br>(मैट्रिक्स लेवल-4) | -              | 145    | 145    |

Signed by Sudhanshu Kumar  
मुख्य सचिव।

Date: 11-03-2023 12:06:16

I/105634/2023

**Government of Uttarakhand**  
**Public Works Department**  
No-*05634*/III(1)/2023-13778/MIS/2/2022  
Dehradun: Date *13, Mar*, 2023

**NOTIFICATION**  
**Miscellaneous**

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the "Constitution of India," the Governor is pleased to make the following rules, with view to further amend the Uttarakhand Public Works Department Amin Service Rules, 2016.

**THE UTTARAKHAND PUBLIC WORKS DEPARTMENT AMIN SERVICE  
(AMENDMENT) RULES 2022**

**Short Title and commencement:-** 1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Public Works Department Amin Service (Amendment) Rules 2022.

(2) It shall come into force at once.

**Amendment of Rule 6** 2. In the Uttarakhand Public Works Department Amin Service Rules, 2016 (hereinafter referred to as the principal rules), for existing rule 6 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely :-

| Column-1<br>(Existing rule)   | Column-2<br>(Rule as here by substituted)  |
|---|--|
| <b><u>Reservation 6.</u></b> Reservation for the candidates of Uttarakhand belonging to Scheduled Castes, Schedule Tribes and Other Backward Classes and other categories belonging to the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment. | <b><u>Reservation 6.</u></b> Reservation for the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Sections and other categories belonging to the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment. |

**Amendment of Rule 8** 3. In the principal rules, for existing rule 8 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| Column-1<br>(Existing rule)   | Column-2<br>(Rule as here by substituted)  |
|---|--|
| <b><u>Educational Qualification 8.</u></b> (i) A candidate for direct recruitment in the services must have passed Intermediate Examination from Uttar Pradesh Intermediate Board or Uttarakhand School Education Board or any examination prescribed by the state Government.  | <b><u>Educational Qualification 8.</u></b> (i) A candidate for recruitment in the services must have passed High School and Intermediate examination from "Board of High School & Intermediate Education Uttar Pradesh" or "Uttarakhand Board of School Education" or any equivalent thereto prescribed by the State Government. |
| (ii) Must have obtained training from any Government Institution or any institution conducted by the Government and efficiency in skill development up gradation program for Survey/Amin post or must have passed ITI in cadre of surveyor or certified in map recording trade. | (ii) Must have obtained Two years pass certificate in the trade of Surveyor/ Draftsman (civil) from Industrial Training Institute (ITI) recognized from the Government.  |

**Amendment of Rule 9** 4. In the principal rules, for existing rule 9 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

| Column-1<br>(Existing rule)  | Column-2<br>(Rule as here by substituted)   |
|--|---|
| <b><u>Preferential qualifications 9.</u></b> A Candidate, other things being equal shall be given preference in direct recruitment who has ; | <b><u>Preferential qualifications 9 (i).</u></b> A Candidate, other things being equal shall be given preference in direct recruitment, who has ; |
| (i) Served in the Territorial Army for a minimum period of 2 years.  | (i) Served in the Territorial Army for a minimum period of 2 years.   |
| (ii) Obtained B or C certificate of National Cadet Corps and he shall be given preference, in the matter of direct recruitment.              | (ii) Obtained 'B' or 'C' certificate of National Cadet Corps and he shall be given preference, in the matter of direct recruitment.               |
| (iii) Graduation degree or Post  | (iii) Graduation degree or Post Graduation degree.  |

Graduation degree.

**A. Essential Qualifications:**

The candidate who comes under the category of Public Service Commission of outside it and who name is registered in any of the Employment exchange office in the State.

**Essential/Desirable Qualification (2)**

The Essential/Desirable qualifications shall be as per provisions of the "Essential/Desirable Qualification for the recruitment of 'Group C' posts within the purview of Uttarakhand Public Service Commission and Outside the purview of the Public Service Commission Rules, 2010" (as amended from time to time).

**Amendment of Rule 13-**

**5.** In the principal rules, for existing rule 13 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted namely:-

| <b>Column-1<br/>(Existing rule)</b>   | <b>Column-2<br/>(Rule as here by substituted)</b>  |
|---|--|
| <p><b>Physical Standard 13.</b> No candidate shall be appointed to a post in the service by direct recruitment unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for direct recruitment, he shall be required to produce a medical certificate of fitness in accordance with the rules framed under fundamental rule 10 contained in chapter III of the Financial Hand Book Volume II Part III.</p> <p>But for candidate selected for appointment on promotion shall not be required to submit a medical certificate of fitness.</p> | <p><b>Physical Standard 13.</b> No candidate shall be appointed to a post in the service by direct recruitment unless he would be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for direct recruitment, he shall be required to produce a medical certificate of fitness in accordance with the rules framed under fundamental rule 10 contained in chapter III of the Financial Hand Book Volume II Part III.</p> <p>Provided that in order of Section 33 of the post identified for this purpose and the categories identified under section 34 of the Right of Person with Disabilities Act, 2016 (Act No 49 year 2016) the disabled shall not be denied the appointment as per rules.</p> <p>Provided further that the candidate appointment by promotion shall not be required to submit a medical certificate of</p> |

fitness.

**Amendment of Rule 14-**

6. In the principal rules, for existing rule 14 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted namely:-

| Column-1<br>(Existing rule)   | Column-2<br>(Rule as here by substituted)   |
|---|---|
| <b>Determination of Vacancies 14.</b> The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under Rule-6 | <b>Determination of Vacancies 14.</b> The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other Backward Classes, Economically Weaker Section and Other categories under Rule-6. |

**Amendment of Rule 15-**

7- In the principal rules, for existing rule 15 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted namely:-

| Column-1<br>(Existing rule)   | Column-2<br>(Rule as here by substituted)   |
|---|---|
| <p><b>Procedure for direct recruitment 15.</b><br/>To make the process of recruitment on various post for and as amended out of purview the direct recruitment on the "Group-C" posts shall be made as the procedure in Rules 2003 as under:-</p> <p>(1) For direct recruitment the appointing authority shall get published the format of application form in such two daily news paper which have vast publication.</p> <p>(2) The appointing authority as per following procedure for direct recruitment shall invite the applications</p> | <p><b>Procedure for direct recruitment 15.</b><br/>Direct recruitment shall be made through Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission, as per the provisions for "Recruitment of 'Group-C' posts in Uttarakhand (outside the purview of Uttarakhand Public Service Commission) Rules 2008" (as amended from time-to-time).</p> |

under sub rules(1) as published at the format published therein and shall publish the vacancies accordingly.(2) Shall get published the format of application in such two daily news papers which have vast publication.

(3) By referring the vacancies to the Employment Exchange. Under sub Rule (2) at the time of referring the vacancies the format of application shall not be published again.

(4)(a) For recruitment a written objective test of 100 marks shall be held for selection. The retrenched candidates shall be awarded 5 marks for each completed one year and the maximum to the 15 marks. The seniority list shall be prepared on the basis of marks obtained in the seniority list and total of evaluation marks.

(b) The objective test shall comprise of General Knowledge, General Studies and General Hindi. Every right answer shall be given 1 mark and for wrong answer negative marking of 1/4 marks.

(c) The booklet of question may be taken away by the candidate.

(d) The answer sheet for a written test shall be in duplicate and the candidate shall be allowed to take the copy of the same with him.

(e) After the written test the answer sheet shall be published on Uttarakhand website [www.ua.nic.in](http://www.ua.nic.in) or in a daily

|  |  |
|--|--|
| <p>newspaper vastly published,.</p> <p>(5) That on the basis of the marks obtained in the written test and other evaluations including marks determined for retrenched candidates, the final selection list shall be prepared. If two or more candidates obtain secured equal marks in written test then the candidate of higher Age limit shall be considered first for the post. The vacancies in the list shall be not more than the number of it, but at least 25 percent.</p> <p>(6) When the selection process is completed and the list of selected candidates has been forwarded to the appointing authority then the numbers obtained by the selected candidates in the selection process and its total shall be published in a news paper vastly published on the website of Uttarakhand and on the notice board.</p> <p>(7) Marks obtained by all the candidates (taking into consideration marks obtained by retrenched candidates as well as the marks obtained in the selection) shall be published on the official website of Uttarakhand <a href="http://www.ua.nic.in">www.ua.nic.in</a>.</p> |  |
|--|--|

**Omission of Rule 16-**  
omitted.

8. In the principal rules, the existing rule 16 Shall be

**Amendment of Appendix-1**

9. In the principal rules, for existing Appendix-1 set out in Column-1 below, Appendix-1 as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-

| Column-1<br>(Existing Appendix) | Column-2<br>(Appendix as hereby substituted) |
|---------------------------------|--|
|---------------------------------|--|

I/105634/2023

| Appendix-1 |             |                           |              |           |             | Appendix-1 |             |                              |              |           |             |
|------------|-------------|---------------------------|--------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------------------------|--------------|-----------|-------------|
| S. No      | Designation | Pay Scale                 | No. of Posts |           | Total Posts | S. No      | Designation | Pay Scale                    | No. of Posts |           | Total Posts |
|            |             |                           | temporary    | permanent |             |            |             |                              | temporary    | permanent |             |
| 1          | Amin        | 5200-20200 Grade Pay 2000 | -            | 145       | 145         | 1.         | Amin        | 25500-81100 (Matrix Level-4) | -            | 145       | 145         |

Signed by Ramesh Kumar  
Sudhanshu  
(Ramesh Kumar Sudhanshu)  
Date: 11-03-2023 12:03:09  
Principal Secretary